



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर चोरी के अभियोग में अभियुक्त को 06 माह 15 दिन के साधारण कारावास व 200/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-145/2025 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफटीसी जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुन्नीलाल पुत्र गयादीन निवासी बरगवां थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह 15 दिन के साधारण कारावास व 200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-पीओ
विकास



विवेचक-
राजीव कुमार साहू



पैरोकार- थाना
का0 श्यामनारायण